न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, दीगोद

उनवान संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
130/23	01.09.2023	18/03/2026

पीठासीन अधिकारी– दीपक महावर (R.A.S.)

उनवान

1. सीताराम आत्मज उदा जाति माली
2. रामकिशन आत्मज उदा जाति माली निवासीगण रिछाहेडी तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादीगण

बनाम

1. पुरूषोत्तम आत्मज भैरूलाल जाति माली निवासी सुरेला तहसील दीगोद जिला कोटा
2. सत्यनारायण आत्मज भैरूलाल जाति माली निवासी तलवण्डी कोटा जिला कोटा
3. कुंजबिहारी आत्मज भैरूलाल जाति माली निवासी टीचर कॉलोनी, कोटा
4. बनवारी आत्मज भैरूलाल मृतक जरिये कायम मुकाम–
   4/1. सतीश आत्मज बनवारी
   4/2. जितेन्द्र आत्मज बनवारी
   4/3. प्रेम पुत्री बनवारी
   4/4. भरोसी बाई बेवा बनवारी जाति माली निवासीगण प्रेमनगर, कोटा
5. सुखदेव आत्मज उदा मृतक जरिये कायम मकाम–
   5/1. रामभरोस पुत्र सुखदेव
   5/2. शम्भू दयाल पुत्र सुखदेव
   5/3. नन्द किशोर पुत्र सुखदेव
   5/4. मुकेश पुत्र सुखदेव
   5/5. गजानन्द पुत्र सुखदेव
   5/6. सुगना बाई पुत्री सुखदेव
   5/7. द्वारका बाई बेवा सुखदेव जाति माली निवासीगण रिछाहेडी तहसील दीगोद जिला कोटा
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर.टी.एक्ट

उपस्थित – श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट वादीगण की ओर से

– श्री कौशल किशोर वैष्णव एडवोकेट प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट, इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम सुरेला तहसील दीगोद की ख0नं0 197 रकबा 1.04 हे0 भूमि राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी नं0 1, 2, 3, 4, 5 व वादीगण तथा पुष्पाबाई बेवा भेरूलाल व ग्यारसी बेवा उदा के शामलाती खातें में दर्ज चली आ रही है। ग्राम सुरेला व ग्राम रिछोडी तहसील दीगोद में अन्य भूमियां भी वादीगण व प्रतिवादीगण के खातें दर्ज चली आ रही थी जिसका आपसी पारिवारिक विभाजन कर लिया जिसके तहत ग्राम सुरेला की उक्त भूमि ख0नं0 197 रकबा 1.04 हे0 भूमि वादीगण के हिस्से में प्राप्त हुई है जिस पर वादीगण का कब्जा चला आ रहा है।

उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के शामलाती खातें में दर्ज चली आ रही है चूंकि भूमि वादीगण को विभाजन में प्राप्त हुई है इस कारण राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादीगण का नाम एवं मृतक पुष्पा बेवा भेरूलाल व ग्यारसी बेवा उदा का नाम डिलीट किया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है। वाद कारण प्रतिवादी नं0 1 ता 5 द्वारा उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड से डिलीट करानें से इन्कार करनें पर दिनांक 01.08.23 को पैदा हुआ।

वाद प्रस्तुत कर वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिकी पारित की जावें कि– ग्राम सुरेला तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 197 रकबा 1.04 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी नं0 1 ता 5 एवं मृतक पुष्पा बेवा भेरूलाल व ग्यारसी बेवा उदा का नाम डिलीट किया जाकर वादीगण को खातेदार दर्ज किया जावें। प्रतिवादी नं0 6 को आदेश दिया जावें कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावें। वाद व्यय एवं अन्य न्यायोचित सहायता हो वह भी वादीगण को प्रदान की जावें।

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री कौशल किशोर वैष्णव का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादीगण की ओर से प्रकरण में इकबालिया जवाब प्रस्तुत हुआ। दौरानें वाद उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो गया। उभयपक्ष नें न्यायालय में स्वयं उपस्थित होकर प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत कर कथन किये कि ग्राम सुरेला तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 197 रकबा 1.04 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादी नं0 1 ता 5 एवं मृतक पुष्पा बेवा भेरूलाल व ग्यारसी बेवा उदा का नाम डिलीट किया जाकर वादीगण को खातेदार दर्ज किया जावें। राजीनामा उभयपक्ष को पढकर सुनाया गया, जिस पर उभयपक्ष द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए मुताबिक राजीनामा वाद स्वीकार किये जानें की स्वीकृति जाहिर की गई। वादीगण की पहचान विद्वान वकील श्री छीतरलाल गोचर एवं प्रतिवादीगण की पहचान विद्वान वकील श्री कौशल किशोर वैष्णव द्वारा प्रमाणित की गई।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी द्वारा निम्न साक्ष्य प्रस्तुत किये–

1. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम सुरेला सं0 2073–76 खाता नं0 93
2. छायाप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र ग्यारसी बाई
3. छायाप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र पुष्पा देवी
4. छायाप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र बनवारी लाल
5. छायाप्रति मृत्यु प्रमाण पत्र सुखदेव

हमनें उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेंजो का अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी ग्राम सुरेला सं0 2073–76 खाता नं0 93 पर दर्ज भूमि के कुंजबिहारी पुत्र भेरूलाल, ग्यारसी पत्नि उदा, पुरूषोत्तम पुत्र भेरूलाल, पुष्पा पत्नि भेरूलाल, बनवारीलाल पुत्र भेरूलाल, रामकिशन पुत्र उदा, सुखदेव पुत्र उदा, सत्यनारायण पुत्र भेरूलाल व सीताराम पुत्र उदा खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है। उक्त खातेदारान में से ग्यारसी पत्नि उदा, पुष्पा पत्नि भेरूलाल तथा बनवारी पुत्र भेरूलाल व सुखदेव पुत्र उदा की मृत्यु हो चुकी है, जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है। चूंकि वादगत भूमि का पूर्व में पारिवारिक विभाजन हो चुका है जिसके अनुसार ख0नं0 197 रकबा 1.04 हे0 भूमि वादीगण के हिस्से में आई तथा उक्त भूमि पर वादीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। मृतक खातेदारान् के वारिसान् प्रकरण में पक्षकार के रूप में संस्थित है तथा उभयपक्ष द्वारा वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिकी किये जानें एवं वादीगण को ख0नं0 197 रकबा 1.04 हे0 भूमि का खातेदार घोषित किये जानें तथा उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से अपना नाम डिलीट किये जानें की सहमति प्रकट करनें से किसी प्रकार का विवाद शेष नहीं रह जाता है। प्रकरण

Scanned with OKEN Scanner

में उभयपक्ष द्वारा राजीनामा प्रस्तुत करनें के परिणामस्वरूप प्रकरण में समस्त विवाद्यको का अवसान हो जाना स्वाभाविक है। वादीगण का वाद प्रस्तुत दस्तावेजों एवं उभयपक्ष की सहमति से प्रमाणित है, जिससे वादीगण मुताबिक राजीनामा विवादित आराजी में अपनें स्वत्वों की घोषणा करवानें के अधिकारी है। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा अपनें स्वत्व वादीगण के पक्ष में त्यागनें के फलस्वरूप किसी प्रकार की राजकीय हानि न हो इस बाबत् भी ध्यान रखा जाना आवश्यक है और मृतक खातेदारान् का नाम राजस्व रिकॉर्ड से डिलीट किया जाना उचित पाते है।

लिहाजा वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा तक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम सुरेला तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 197 रकबा 1.04 हे0 भूमि का वादीगण सीताराम पुत्र उदा एवं रामकिशन पुत्र उदा को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार दीगोद को निर्देश दिये जाते है कि पक्षकारान् से नियमानुसार राजस्व शुल्क जमा करवाकर पालना करें। तदनुसार अन्तिम डिकी जारी हों। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनॉक। 8/03/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(दीपक महावर)
उपखण्ड अधिकारी,
दीगोद

अन्तिम डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा

उनवान

1. सीताराम आत्मज उदा जाति माली
2. रामकिशन आत्मज उदा जाति माली निवासीगण रिछाहेडी तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादीगण

बनाम

1. पुरुषोत्तम आत्मज भैरूलाल जाति माली निवासी सुरेला तहसील दीगोद जिला कोटा
2. सत्यनारायण आत्मज भैरूलाल जाति माली निवासी तलवण्डी कोटा जिला कोटा
3. कुंजबिहारी आत्मज भैरूलाल जाति माली निवासी टीचर कॉलोनी, कोटा
4. बनवारी आत्मज भैरूलाल मृतक जरिये कायम मुकाम–
   4/1. सतीश आत्मज बनवारी
   4/2. जितेन्द्र आत्मज बनवारी
   4/3. प्रेम पुत्री बनवारी
   4/4. भरोसी बाई बेवा बनवारी जाति माली निवासीगण प्रेमनगर, कोटा
5. सुखदेव आत्मज उदा मृतक जरिये कायम मकाम–
   5/1. रामभरोस पुत्र सुखदेव
   5/2. शम्भू दयाल पुत्र सुखदेव
   5/3. नन्द किशोर पुत्र सुखदेव
   5/4. मुकेश पुत्र सुखदेव
   5/5. गजानन्द पुत्र सुखदेव
   5/6. सुगना बाई पुत्री सुखदेव
   5/7. द्वारका बाई बेवा सुखदेव जाति माली निवासीगण रिछाहेडी तहसील दीगोद जिला कोटा
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आर.टी.एक्ट

मिसल नम्बर–130/20

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ दीपक महावर आर.ए.एस. बहाजिरी श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु श्री कौशल किशोर वैष्णव एडवोकेट मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा तक स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम सुरेला तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 197 रकबा 1.04 हे0 भूमि का वादीगण सीताराम पुत्र उदा एवं रामकिशन पुत्र उदा को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार दीगोद को निर्देश दिये जाते है कि पक्षकारान् से नियमानुसार राजस्व शुल्क जमा करवाकर पालना करें।" तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 18/03/2026 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0

Scanned with OKEN Scanner

महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(दीपक महावर)
उपखण्ड अधिकारी,
दीगोद

Scanned with OKEN Scanner